

6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) को बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. पट्टा विलेख की योजना में आन्तरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
10. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, नीति, विनियम के तहत जारी किया गया है। इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
11. अन्य.....

**नोट :-** आवास (निर्मित भूखण्ड) में शर्त नं. 7 लागू नहीं होगी।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि .....

601643  
रामेश शर्मा 361w + 50

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-


पूर्व..... पश्चिम.....  
उत्तर..... दक्षिण.....

साइट प्लान संलग्न हैं।


Kundh Chopra  
पट्टा धारक के हस्ताक्षर



1. कोलाश चौपड़ा



2. ....



साक्षी :-


हस्ताक्षर Dimple Chakraborty

नाम विमल चौपड़ा

पता चौपड़ा फार्म

गणपतपुरा चक 1

मानसरोवर जयपुर



Manu

संजीव शर्मा

सेवानिवृत्त सहायक

ज.वि.प्रा. साऊथ द्वितीय

मानसरोवर

21/7-

उपस्थित नोन-परिभाषक (एस-1)  
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर  
सेक्टर-12, मानसरोवर, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण



साईट प्लान और निर्माण स्वीकृति

मूखण्ड का क्षेत्रफल - 409.61 वर्गगज  
पैमाना - 1 इंच = 40 फीट  
भू-उपयोग - आवासीय

संख्या - 12  
प्लान का नाम - सुखिजा विहार-ई (चोपड़ा फार्म) (गणपतपुरा चक-प्रथम)  
विकासकर्ता - कीर्ति नगर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.



निर्माण स्वीकृति

- (अ) सेट बैक्स
- |                     |        |
|---------------------|--------|
| (1) सामने           | 10'-0" |
| (2) पार्श्व प्रथम   | चरपेटा |
| (3) पार्श्व द्वितीय | 10'-0" |
| (4) पीछे            | 10'-0" |
- (ब) अधिकत ऊँचाई - 8.0 मीटर

(स) मंजिलों की संख्या - भू-तल + प्रथम तल

(द) अन्य पैरामीटर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 के अनुसार देय होंगे।

(य) निर्माण अवधि :- लीजडीड में अंकित शर्त अनुसार।

कनिष्ठ / सहायक अभियंता  
पी.आर.एन. (दक्षिण-II)

सहायक / उप नगर नियोजक  
पी.आर.एन. (दक्षिण-II)

217

उपसुवत भवन-पीआरएन (एस-II)  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
सेक्टर - 12, मणिसरदार, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण

## पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड)

### आवासीय

पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 4995

दिनांक 3.1.2022

पट्टा धारक का नाम ..... कैलाश चौपड़ा पुत्र/पुत्री रामचन्द्र चौपड़ा  
 पत्नी ..... पति .....  
 निवासी ठाणपतपुरा - चक्र - 1, मानसरोवर, जयपुर

### अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ..... शहर ..... कार्यालय पता 2021 .....  
 ..... जरिये .....

(पदनाम) श्री / श्रीमती / सुश्री ..... पुत्र / पुत्री .....

निवासी .....  
 भूखण्ड सं. 12 ..... क्षेत्रफल 409.61 व.ज.

राजस्व ग्राम ठाणपतपुरा - चक्र - 1 खसरा सं. ....  
 योजना सुरकीला वि. डर - ई ..... में स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक ..... को निष्पादित किया जाता है।

Kailash Chopra  
 पट्टा धारक के हस्ताक्षर

- कैलाश चौपड़ा
- .....

2022  
 उपर्युक्त भूमि-पीछाहटन (एत-1)  
 प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर  
 सेक्टर-12, मानसरोवर, जयपुर

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।